FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

तुलछी देवी बनाम रूपाराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा० भा०वि० 111,128 RLRAct नं. 358/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/12/19	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री चुनाराम ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-~~राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11/02/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
11/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 19/05/2020 को पेश हो। [signature]	
19/05/2020	पत्रा[illegible] वकुलाय पक्षकारा[illegible] पीठासीन अधि कारी दिगर[illegible] मिसल [illegible] 07/10/2020 [illegible] [signature]	
07/10/2020	पत्रावली आज पेश [illegible] व कुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि कारी दिगर कार्यों में [illegible] मिसल इल्तवा होकर दिनांक 15/03/2021 को पेश हों। [signature]	

15/03/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण अनु/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/08/2021 को पेश हो।

11/08/2021 पत्रावली पेश हुई, न्यायालय परिकक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 04/10/2021 को पेश हो।

04/10/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण अनुपस्थित/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/05/2022 को पेश हो।

23/05/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 30/05/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

30/05/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित / न्यायालय तमाम तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 P.M. पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 23/06/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
23/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1027 दिनांक : 23/06/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. तुलछी दैवी पत्नी भोमाराम वगैरा 03, जाति जाट, निवासी लेगो की ढाणी, पटवार मण्डल गिड़ा, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. रूपाराम पुत्र मगलाराम वगैरा 15, जाति जाट, निवासी सिसोदिया पाना, पटवार मण्डल गिड़ा, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 358 / 2019

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – सिसोदिया पाना, पटवार मण्डल – गिड़ा, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 15, 23 व 323 / 23 रकबा क्रमशः 06.16, 11.05, 17.07 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO)
(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 23/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 1028 – 32

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का गिड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्रीमति तुलछी देवी पत्नी भोमाराम वगैरा 03,
4. विप्रार्थी श्री रूपाराम पुत्र मगलाराम वगैरा 15,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला – बाड़मेर